



2026:AHC:124521

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 19048/2026

राम प्रकाश

....आवेदक(कों)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी(यों)

आवेदक(कों) के अधिवक्ता : अर्धेन्दु शेखर शर्मा, राम बाबू शर्मा, प्रतिवादी(यों) के
अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 4

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राम बाबू शर्मा और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री रोशन कुमार सिंह को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।
2. यह जमानत याचिका मामले में आवेदक को विचारण के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है जो मामला अपराध संख्या 199/2025, धारा 115(2), 103(1), 238, 140(1) बीएनएस के तहत, पुलिस स्टेशन- विशरतगंज, जिला- बरेली है।
3. आवेदक के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि गुरदास, शिशपाल, हरि सिंह और रामकेश के बयानों को ध्यानपूर्वक पढ़ने से यह स्पष्ट है कि सह-आरोपी मनोज और वर्तमान आवेदक का मृतक की हत्या करने का कोई इरादा नहीं था। उनका इरादा केवल उस व्यक्ति से मोबाइल फोन वापस लेना था जिसे मृतक ने सौंपा था। वे मृतक के निर्देश पर आंवाला जा रहे थे और रास्ते में पेट्रोल पंप के पास मृतक ने पानी मांगा और मोटरसाइकिल रुकते ही वह भाग गया। इसके बाद, आवेदक और सह-आरोपी ने यह मानकर कि मृतक भाग गया है, अपने घर लौट आए, लेकिन भागते समय मृतक गलती से पानी से भरे एक गड्ढे में गिर गया, जिससे डूबने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद, आवेदक को मृतक की हत्या के झूठे आरोप में फंसाया गया है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि सह-आरोपी मनोज कुमार, जिसकी भूमिका आवेदक के समान है, को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 12359/2026 में दिनांक 29.04.2026 के आदेश द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है। अतः, समानता के आधार पर आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। यह भी निवेदन किया जाता है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी निवेदन किया जाता है कि इस मामले में आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक कानून का पालन करने वाला नागरिक है और वह 9 अक्टूबर 2025 से जेल में बंद है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया लेकिन उपरोक्त तथ्य का खंडन नहीं कर सके।
5. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्तों की संलिप्तता, जेलों में अत्यधिक भीड़ और निचली अदालतों में आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने, साथ ही **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2024 एससीसी ऑनलाइन ऑल 6765** मामले में इस न्यायालय के जमानत देने संबंधी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। तदनुसार, यह आवेदन स्वीकार किया जाता है।
6. उपर्युक्त अपराध में अभियोक्ता **राम प्रकाश** को न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-
 - i. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
 - ii. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए विचारण/जांच में पूरी ईमानदारी से सहयोग करेगा।
 - iii. जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।
 - iv. आवेदक को उसके द्वारा निष्पादित बांड की शर्तों के अनुसार उपस्थित होना होगा।
7. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, जमानत रद्द करने का आधार होगा।
8. जमानत स्वीकार किए जाने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।
9. आवेदक और जमानतदारों के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का सत्यापन भी संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।
10. यह निर्देश दिया जाता है कि ट्रायल कोर्ट जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजे ताकि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।
11. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति **बरेली जेल अधीक्षक** के माध्यम से आवेदक को ई-मेल या ई-जेल पोर्टल के माध्यम से और विचारण न्यायालय को ई-मोड के माध्यम से 24 घंटे के भीतर भेजे, जो सर्वोच्च न्यायालय के **पालिसी स्ट्रेटेजी फॉर ग्रांट ऑफ़ बेल. स्वतः संज्ञान लेते हुए रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4/2021** का निर्णय **31.01.2023** को लिया गया था और **(2024) 10 एससीसी 685** में प्रकाशित हुआ था, साथ ही पीला पहन और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य के मामले में रिट याचिका (आपराधिक) संख्या

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



169/2025 का निर्णय **29.05.2026** को लिया गया था, के मामले में दिए गए आदेशों के अनुपालन में हो

9. यदि कोई आवेदन था, तो वह अब निस्तारित कर दिया गया है।

2 जून, 2026
ए.के.आर.

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

Translated version . Not for legal use.

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।